संख्या : 180/आठ–1–06–4विविध/06

प्रेषक,

सुरजीत कौर सन्धु
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 23 जनवरी, 2006**

विषयः उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा सम्पत्तियों की नीलामी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना है कि शासनादेश संख्या : 378/9–आ–1–सम्पत्तियॉ/आ.ब./01, दिनांक 20.06.01 द्वारा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों को सम्पत्तियों की नीलामी हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्गत किये गये हैं। इस संबंध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा नीलामी से निस्तारित की जाने वाली सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु भिन्न–भिन्न प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो उक्त शासनादेश व शासन की मंशा के विपरीत है। परिणाम स्वरूप जनसाधारण को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

2– अतः पूर्व में निर्गत शासनादेश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों (बल्क सेल सहित) का आवंटन खुली नीलामी द्वारा की जायेगी।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
सुरजीत कौर सन्धु
प्रमुख सचिव

संख्या : 180/आठ-1-2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग अधिकारी/उ.प्र. औद्योगिक विकास, कानपुर।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी

अनुसचिव